न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी–दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 89 /2020

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
केनरा बैंक, शाखाः स्टेशन रोड, लाडनूं।	बनाम	1. मैसर्स सूंतवाल इण्डस्ट्रीज प्रोपराईटर श्रीमति कांता सूंतवाल पत्नी श्री संजय सूंतवाल 2. श्रीमति कांता सूंतवाल पत्नी श्री संजय सूंतवाल, पता– खसरा नम्बर 792/543, गांव– ओडिंत, तहसील–लाडनूं, जिला – नागौर।

आदेश दिनांकः–24-01-2020

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को खाते में **19,03,000/–(अक्षरे उन्नीस लाख तीन हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 27.03.2015, 4,72,000/–(अक्षरे चार लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 11.11.2016 व 27.03.2015 तथा 6,44,000/–(अक्षरे छः लाख चवालीस हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 14.06.2017 कुल रुपये 30,19,000/–(अक्षरे तीन लाख उन्नीस हजार रुपये मात्र)** ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में बंधक व अचल **सम्पति – फैक्ट्री भूमि एवं भवन खसरा नं. 792/543, गांव–ओडिंत, तहसील–लाडनूं, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 17424 वर्गफीट है जो श्रीमति कांता सूंतवाल पत्नि श्री संजय सूंतवाल के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता एवं प्रवेश, दक्षिण में संजय सूंतवाल की भूमि, पूर्व में श्री हरिराम पुत्र भगवान सिंह एवं प्रहलाद सिंह पुत्र श्री संपत राज जाट की भूमि एवं पश्चिम में लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री मनोहर सिंह की भूमि स्थित है,** जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 20.09.2018** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाते में **रूपये 20,35,434.28/–(अक्षरे बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ चौंतीस रुपये व अठाईस पैसे मात्र) दिनांक 08.04.2019 (23.03.2019 तक ब्याज सम्मिलित) तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 08.04.2019** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **रूपये 20,35,434.28/–(अक्षरे बीस लाख पैंतीस हजार चार सौ चौंतीस एवं रुपये व अठाईस पैसे मात्र) दिनांक 08.04.2019 (23.03.2019 तक ब्याज सम्मिलित) तक शेष देय है तथा इसके आगे का ब्याज व खर्चे सहित राशि** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज बंधक व अचल **सम्पति का विवरण – फैक्ट्री भूमि एवं भवन खसरा नं. 792/543, गांव–ओडिंत, तहसील–लाडनूं, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 17424**

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

वर्गफीट है जो श्रीमति कांता सूंतवाल पत्नि श्री संजय सूंतवाल के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता एवं प्रवेश, दक्षिण में संजय सूंतवाल की भूमि, पूर्व में श्री हरिराम पुत्र भगवान सिंह एवं प्रहलाद सिंह पुत्र श्री संपत राज जाट की भूमि एवं पश्चिम में लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री मनोहर सिंह की भूमि स्थित है, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैक से **19,03,000/–(अक्षरे उन्नीस लाख तीन हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 27.03.2015, 4,72,000/–(अक्षरे चार लाख बहत्तर हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 11.11.2016 व 27.03.2015 तथा 6,44,000/–(अक्षरे छः लाख चवालीस हजार रुपये मात्र) रूपये ऋण सुविधा दिनांक 14.06.2017 कुल रुपये 30,19,000/–(अक्षरे तीन लाख उन्नीस हजार रुपये मात्र)** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे बंधक व अचल **सम्पति का विवरण – फैक्ट्री भूमि एवं भवन खसरा नं. 792/543, गांव–ओडिंत, तहसील–लाडनूं, जिला नागौर में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 17424 वर्गफीट है जो श्रीमति कांता सूंतवाल पत्नि श्री संजय सूंतवाल के नाम से है। जिसकी चतुर्थ सीमाएं इस प्रकार है– उत्तर में आम रास्ता एवं प्रवेश, दक्षिण में संजय सूंतवाल की भूमि, पूर्व में श्री हरिराम पुत्र भगवान सिंह एवं प्रहलाद सिंह पुत्र श्री संपत राज जाट की भूमि एवं पश्चिम में लक्ष्मी कंवर पत्नि श्री मनोहर सिंह की भूमि स्थित है,** जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने के संबंध में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।

आदेश सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 14:40:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: